[2019] 14.एस.सी.आर. 695

श्री आनंद राव कोराडा समाधान पेशेवर

बनाम

मेसेर्स वर्षा फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड, एवं ओ.आर.एस.

(सिविल अपील संख्या 8800-8801/2019) 18 नवंबर, 2019

[इंदु मल्होत्रा और आर. सुभाष रेड्डी जज.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एसएस.7, 13, 14, 231 और 238 प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 4 में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच दी- प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना कारखाना बंद कर दिया - प्रतिवादी संख्या 13-श्रमिक संघ ने रिट याचिका दायर की और श्रमिकों के बकाया और वर्तमान वेतन का भुगतान करने की मांग की - उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय को श्रमिकों को देय राशि की मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया - रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, एक वित्तीय ऋणदाता ने याचिका दायर की प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी आई आर पी) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत स्थगन की घोषणा की - स्थगन के लंबित रहने के दौरान, लंबित रिट में याचिका उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 के स्वामित्व वाली भूमि के मूल्यांकन का निर्देश दिया और प्रतिवादी संख्या 4 की संपत्ति की नीलामी करने के आदेश पारित किए- धारित स्वामित्व: उचित नहीं- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के मद्देनजर, एक बार जब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू हो गई थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन की घोषणा करने वाला आदेश पारित कर दिया गया था, तो प्रतिवादी नंबर 4 की संपत्ति की नीलामी करने के आदेश पारित करना अदालत के लिए उचित नहीं था। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सभी हितधारकों के हित खतरे में पड़ जाएंगे, हालांकि, प्रतिवादी नंबर 13 के लिए यह खुला है कि वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बकाया, वेतन के भुगतान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के विनियम 9 के तहत आवेदन दायर कर सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किये जाते हैं। न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए विनिर्धारित किया : 1. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को 28.05.2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसे कॉर्पोरेट संस्थाओं, साझेदारी फर्मों के दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक पूर्ण संहिता के रूप में तैयार किया गया था।

695 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14एस.सी.आर

और व्यक्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति, और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") तब शुरू की जा सकती है जब कॉर्पोरेट देनदार या तो किसी वित्तीय ऋणदाता द्वारा चूक करता है, या परिचालन ऋणदाता, या स्वयं कॉर्पोरेट देनदार। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12 सीआईआरपी को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा प्रदान करता है। IBC की धारा 13 के अनुसार, निर्णायक प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा। [पैरा 6] [699- जी-एच; 700-ए-बी]

2. प्रावधानों को देखते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 और 238 के अनुसार, एक बार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद, और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन की घोषणा करने वाला एक आदेश पारित होने के बाद, उच्च न्यायालय को कॉर्पोरेट देनदार-प्रतिवादी संख्या 4 की संपत्ति की नीलामी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इस मामले में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा 04 06 2019 को स्थगन घोषित किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नंबर 4- कंपनी यानी कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति की नीलामी करने के लिए दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 के आदेश पारित करना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष नीलामी कार्यवाही का विषय रेलवे लाइनों और इमारतों सहित लगभग 330 एकड़ भूमि का एक विशाल हिस्सा है। यदि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 4-कंपनी की संपत्ति को अलग कर दिया जाता है, तो यह सभी हितधारकों के हितों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 के अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया, क्योंकि मुख्य मुद्दे के संबंध में समानांतर कार्यवाही उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती है। प्रतिवादी संख्या 4 की संपत्ति की बिक्री या परिसमापन अब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा [पैरा 9] [702-बी-एफ)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8800-8801/2019।

कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 से। रिट याचिका (सी) क्रमांक 7939 2011 श्री आनंद राव कोराडा समाधान पेशेवर बनाम मेसेर्स वर्षा फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड,

सिद्धार्थ भटनागर. वरिष्ठ अधिवक्ता, अशोक जैन, पंकज जैन, अमित कसेरा, बिजय कुमार जैन, आदित्य सिद्धरा, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, ASG सी.यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिबाशीष मिश्रा, एस. देबब्रत रेड्डी, आशीष प्रसाद, सुश्री मुक्ता दत्ता, राजेश जे. अविनाश त्रिपाठी, ज़ैन मकबूल, रोहित शर्मा, महफूज़ अहसन नाज़की, राजेश के. सिंह, आर.आर. राजेश, अंशुल गुप्ता, सुधाकर कुलवंत, राज बहादुर यादव, सुश्री अर्चना पाठक दवे, संदीप पाठक,प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

इंदु मल्होत्रा, जे.

छुट्टी दी गई.

1. वर्तमान सिविल अपील अपीलकर्ता-राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा संकल्प नियुक्त पेशेवर द्वारा ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा कॉर्पोरेट देनदार-मैसर्स हीराकुंड इंडस्ट्रियल वर्क्स लिमिटेड के लिए रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 7939/2011 में पारित दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए दायर की गई है ।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 23.09.2019 के आदेश के तहत रिट याचिकाकर्ताओं यानी हीराकुंड वर्कर्स यूनियन प्रतिवादी क्रमांक 13 सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया- अपीलकर्ता को सभी उत्तरदाताओं को दस्ती नोटिस देने का निर्देश दिया गया था, और उच्च न्यायालय के समक्ष नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

3. नोटिस जारी करने के क्रम में, सभी उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता द्वारा तामील किया गया, और तामील का प्रमाण 04.11.2019 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 13- हीराकुंड वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व हालांकि वकील द्वारा नहीं किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष 13.11.2019 को सिविल अपीलें सुनवाई के लिए ली गईं।

4. वर्तमान सिविल अपीलें जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में दायर की गई हैं वह इस प्रकार है:-

4.1 मेसर्स वर्षा फैब्रिक्स प्रा. लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1), इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 2), मुद्रिका कमर्शियल प्रा. लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 3), हीराकुंड इंडस्ट्रियल वर्क्स लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 4), और औद्योगिक विकास निगम ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 5) ने दिनांक 10.07.2006 को एक शेयर खरीद समझौता ("एसपीए") किया। एसपीए के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 4 में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच दी | 3. प्रतिवादी संख्या 4 ने 08.05.2007 को अपना कारखाना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14एस.सी.आर.

.2 इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 में अपनी हिस्सेदारी इंडो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को बेच दी। प्रतिवादी संख्या 13 - हीराकुंड वर्कर्स यूनियन ने ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 12479/2009 दायर किया। ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ शेयर खरीद समझौता दिनांक 10.07.2006 को रद्द करने और श्रमिकों के बकाया और वर्तमान वेतन का भुगतान करने की प्रार्थना की गई।

.3 प्रतिवादी संख्या 13 ने उनके बकाया भुगतान के लिए एक और रिट याचिका ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष(सिविल) संख्या 7939/2011 28.03.2011 को दायर की।

.4 उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.03.2012 के आदेश के तहत उप श्रम आयुक्त, संबलपुर डिवीजन (प्रतिवादी संख्या 10) को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 - कंपनी की संपत्ति की बिक्री करके श्रमिकों का बकाया वसूलने का निर्देश दिया।

.5 ये कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 में समाप्त हुई, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि श्रमिकों को देय मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने का मुद्दा श्रम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। आगे यह निर्देशित किया गया कि यदि प्रतिवादी श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 4 की संपत्ति सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी, और आय का उपयोग श्रमिकों के बकाया के वितरण के लिए किया जाएगा।

.6 श्रम न्यायालय, संबलपुर ने दिनांक 11.11.2016 के आदेश के तहत श्रमिकों को देय राशि ₹45,66,67,133/- रुपये निर्धारित की।

.7 उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.01.2017 के आदेश के तहत उप श्रम आयुक्त, संबलपुर डिवीजन को प्रतिवादी संख्या 4 की 157.27 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा हीराकुंड बांध परियोजना को बेचने का निर्देश दिया।

रुपये की बिक्री आय प्राप्त होने पर. उड़ीसा सरकार की ओर से 10,04,12,105/- रुपये की राशि श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए वितरित की गई।

.8 रिट याचिका (सिविल) नंबर 7939/2011 उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान।, मैसर्स नंदाकिनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा. लिमिटेड - एक वित्तीय ऋणदाता ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत सीपी (आईबी) संख्या 01/सीटीबी/एमआर के तहत एक याचिका दायर की।

आनंद राव कोराडा समाधान पेशेवर बनाम मेसेर्स.वर्षा फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड, [इंदु मल्होत्रा, जे.]

2019, कॉर्पोरेट देनदार-प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कटक बेंच ("एनसीएलटी") के समक्ष की गई , क्योंकि उसने वित्तीय कर्ज ₹24,11,975/- रूपये का भुगतान करने में चूक की थी।

4.9 राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक 04.06.2019 के आदेश के तहत दिवाला याचिका स्वीकार कर ली और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 13 और 15 के प्रावधानों के अनुसार स्थगन की घोषणा की। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्थगन की घोषणा की गई थी। यहां अपीलकर्ता को दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था।

4.10 अधिस्थगन के लंबित रहने के दौरान, डब्ल्यू.पी. (सिविल) 7939/ 2011 को उच्च न्यायालय के समक्ष 14.08.2019 को सुनवाई के लिए रखा गया था। अतिरिक्त सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 के स्वामित्व वाली मौजा-तारा नगर में भूमि का मूल्यांकन रु 6,05,000/- प्रति एकड़ है। हाईकोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता को किए गए मूल्यांकन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

4.11 उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.09.2019 के एक और आदेश द्वारा अपीलकर्ता-रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की दलील दर्ज की कि ऐसी अन्य कंपनियां भी थीं जिन्होंने सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए रुचि व्यक्त की थी। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17.09.2019 को पोस्ट किया गया।

4.12 अपीलकर्ता - समाधान पेशेवर ने डब्ल्यू.पी. में ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 के पारित अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए वर्तमान सिविल अपील (सिविल) संख्या 7939/2011 इस आधार पर दायर की,कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए डब्ल्यू.पी.(सिविल) क्रमांक 7939/2011 में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

5. हमने अपीलकर्ता - समाधान पेशेवर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3, और प्रतिवादी संख्या 8- हिंडाल्को की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

6. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को 28.05.2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसे कॉर्पोरेट संस्थाओं, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करने, ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने और हितों को संतुलित करने के लिए एक पूर्ण संहिता के रूप में तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सभी रिपोर्टें [2019] 14एस.सी.आर.

हितधारक। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") तब शुरू की जा सकती है जब कोई कॉर्पोरेट देनदार किसी वित्तीय ऋणदाता, या एक परिचालन ऋणदाता, या स्वयं कॉर्पोरेट देनदार द्वारा डिफ़ॉल्ट करता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 12 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा प्रदान करती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 13 के अनुसार, निर्णायक प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा।

धारा 14 में प्रावधान है कि दिवाला शुरू होने की तारीख पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल, या किसी अन्य प्राधिकरण में मुकदमों की स्थापना, या लंबित मुकदमों या "कार्यवाही" को जारी रखने पर रोक लगाने की घोषणा करेगा, जिसमें किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन शामिल है।

धारा 14 इस प्रकार है:

"14. अधिस्थगन.-

(1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवालियापन प्रारंभ तिथि पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आदेश द्वारा स्थगन की घोषणा करेगा

निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करना, अर्थात्: -

(ए) किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना:

(बी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी संपत्ति या किसी कानूनी अधिकार या उसमें लाभकारी हित को स्थानांतरित करना, भार उठाना, अलग करना या निपटान करना;

(सी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाए गए किसी भी सुरक्षा हित को जब्त करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने की कोई भी कार्रवाई, जिसमें वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत कोई भी कार्रवाई शामिल है;

(डी) किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली, जहां ऐसी संपत्ति पर कॉर्पोरेट देनदार का कब्जा है या उसके कब्जे में है। श्री आनंद राव कोराडा समाधान पेशेवर बनाम मेसेर्स वर्षा फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड, [इंदु मल्होत्रा, जे.]

(2) कॉर्पोरेट देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिस्थगन अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे जहाँ ;

(ए) ऐसा लेनदेन जो किसी वित्तीय नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

(बी) एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक ज़मानत।

(4) अधिस्थगन का आदेश ऐसे आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा:

बशर्ते कि कॉर्पोरेट के दौरान किसी भी समय दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि, यदि न्यायनिर्णयन हो रहा है प्राधिकरण धारा 31 की उपधारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या कॉर्पोरेट के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है

धारा 33 के तहत देनदार, स्थगन ऐसे अनुमोदन या परिसमापन आदेश की तारीख से प्रभावी होना बंद हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।"

4. धारा 238 अन्य सभी कानूनों पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को एक अधिभावी प्रभाव देती है। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान कॉर्पोरेट देनदार की दिवाला प्रक्रिया और उसकी संपत्ति के निपटान के तरीके से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और एनसीएलएटी पर विशेष अधिकार क्षेत्र निहित करते हैं।

धारा 238 इस प्रकार है:

"238. इस संहिता के प्रावधान अन्य कानूनों पर अधिभावी होंगे। -

इस संहिता के प्रावधान प्रभावी होंगे, भले ही किसी कुछ समय के लिए लागू या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाला कोई उपकरण अन्य कानून में कुछ भी असंगत हो।"

5. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 231 किसी भी मामले के संबंध में सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है जिसमें न्यायनिर्णयन प्राधिकारी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या एनसीएलएटी को कोई भी आदेश पारित करने के लिए संहिता द्वारा सशक्त किया गया है। धारा 231 तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दी गई है:

"231. क्षेत्राधिकार की वर्जना.-

किसी भी मामले के संबंध में किसी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिसमें निर्णायक प्राधिकारी या बोर्ड इस संहिता द्वारा या इसके तहत किसी भी आदेश को पारित करने के लिए सशक्त किया गया है और इस संहिता के तहत ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा पारित किसी भी आदेश के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। ।" सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 S.C.R.

9. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, एक बार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, उच्च न्यायालय को कॉर्पोरेट देनदार-प्रतिवादी नंबर 4 की संपत्ति की नीलामी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, और स्थगन की घोषणा करने वाला आदेश देना चाहिए था। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था। इस मामले में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 को अंतरिम आदेश पारित किया।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा 04.06.2019 को स्थगन घोषित किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नंबर 4 कंपनी यानी कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति की नीलामी करने के लिए दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 को आदेश पारित करना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष नीलामी कार्यवाही का विषय रेलवे लाइनों और इमारतों सहित लगभग 330 एकड़ भूमि का एक विशाल हिस्सा है। यदि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 4-कंपनी की संपत्ति को अलग कर दिया जाता है, तो यह सभी हितधारकों के हितों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा।

परिणामस्वरूप, हम ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.08.2019 और 05.09.2019 के अंतरिम आदेशों को रद्द करते हैं, क्योंकि मुख्य मुद्दे के संबंध में समानांतर कार्यवाही उच्च न्यायालय में नहीं हो सकती है। प्रतिवादी संख्या 4 की संपत्ति की बिक्री या परिसमापन अब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

10. प्रतिवादी संख्या 13-हीराकुड श्रमिक संघ के लिए बकाया, वेतन और अन्य देय राशि के भुगतान के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 9 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का विकल्प खुला है। विनियम 9 इस प्रकार है:-

"9. कामगारों और कर्मचारियों द्वारा दावे.

1. एक व्यक्ति जो कर्मकार या कर्मचारी होने का दावा करता है

कॉर्पोरेट देनदार अनुसूची के फॉर्म डी में व्यक्तिगत रूप से, डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरिम समाधान पेशेवर को सबूत के साथ दावा प्रस्तुत करेगा।

श्री आनंद राव कोराडा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाम मेसेर्स वर्षा फैब्रिक्स (पी) लिमिटेड, [इंदु मल्होत्रा, जे.जे

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति समिति के गठन से पहले दावे के समर्थन में दस्तावेज़ या स्पष्टीकरण, स्वयं या यदि अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा आवश्यक हो अनुपूरक जमा कर सकता है ।

2. जहां कॉर्पोरेट देनदार के कई कामगारों या कर्मचारियों का बकाया है, वहां एक अधिकृत प्रतिनिधि कर सकता है अनुसूची के फॉर्म ई में उनकी ओर से ऐसे सभी बकाया के लिए सबूत के साथ एक दावा प्रस्तुत करें।

3. श्रमिकों या कर्मचारियों को देय राशि का अस्तित्व उनके द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से निम्नलिखित के आधार पर साबित किया जा सकता है-

(ए) सूचना उपयोगिता के पास उपलब्ध रिकॉर्ड, यदि कोई हो; या (बी) अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, जिनमें शामिल हैं -

(i)रोजगार का प्रमाण जैसे कि उस अवधि के लिए रोजगार का अनुबंध जिसके लिए ऐसा कामगार या कर्मचारी बकाया का दावा कर रहा है;

(ii) बकाया राशि के भुगतान की मांग करने वाले नोटिस का साक्ष्य और कोई दस्तावेजी या अन्य सबूत कि भुगतान नहीं किया गया है; या

(iii) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश जिसने गैर-पर निर्णय दिया है बकाया राशि का भुगतान, यदि कोई हो।"

11. श्री सी.यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 हिंडाल्को की ओर से उपस्थित हुए, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि के उपरोक्त हिस्से की सार्वजनिक नीलामी में भाग लिया था। वकील ने नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगाने पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा उठाई गई आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी।

श्री सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलकर्ता समाधान पेशेवर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा ऐसा कोई आवेदन होने पर लोकस स्टैंडी की दलील सहित सभी विवादों को उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

पार्टियों को कानून के अनुरूप जो भी उपाय हों, उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

उपरोक्त शर्तों में सिविल अपील की अनुमति है।

अंकित ज्ञान की अपील स्वीकार की गई।